

**समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या-1252 दिनांक 02.11.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो दिनांक 01.07.2017 से आरम्भ की गयी जी0एस0टी0 व्यवस्था में नये पंजीयन के सर्वेक्षण के सम्बंध में है।


उक्त सन्दर्भ में अम्बर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर द्वारा वीडियो कान्फेसिंग के माध्यम से निर्देशित किया गया था ऐसे कि नये पंजीकृत व्यापारी जिनके द्वारा रिटर्न दाखिल नहीं किये जा रहे हैं उनसे टेलीफोन द्वारा सम्पर्क करके रिटर्न दाखिल कराया जाये और यदि उनके द्वारा फिर भी रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है तो उनकी जांच कर यह सुनिश्चित किया जाये कि उनके द्वारा वास्तव में व्यापार किया जा रहा है अथवा नहीं। व्यापार स्थल के सर्वेक्षण के समय रिटर्न दाखिल करने में आ रही है कठिनाईयों की जानकारी कर उनका निराकरण कराया जाये व हेल्पडेस्क के माध्यम से रिटर्न दाखिल कराने का प्रयास किया जाये। इस सम्बंध में जी0एस0टी0एन0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी **Excel Sheet** के आधार पर नये पंजीकृत व्यापारियों की जोन, सम्भाग तथा खण्डवार सूची जिसमें पंजीकृत व्यापारियों के मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई0डी0 भी सम्मिलित हैं उपलब्ध करायी जा चुकी है। अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा खण्डवार सर्वेक्षण के अनुश्रवण के निर्देश दिये गये हैं। इस काम में अधिकारियों द्वारा की जा रही खण्डवार सर्वेक्षण का विवरण फीडिंग हेतु ऑनलाइन माड्यूल विभागीय वेबसाइट में **EIS (Employee Information System)** के **Login** पेज पर **New Registration Enquiry** के लिंक पर उपलब्ध है।

अतः समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) को निर्देशित किया जाता है कि नये पंजीकृत व्यापारियों के सर्वेक्षण की दैनिक प्रगति की सूचनायें उक्त माड्यूल में इन्द्राज करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक शुक्रवार सूचना हार्डकापी में निम्न प्रारूप में भेजना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य का अनुश्रवण प्रत्येक जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा स्वयं किया जायेगा।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें ।

प्रारूप

जोन/संभाग का नाम	खंड का नाम	जी0एस0टी0 के अन्तर्गत नये पंजीयन की सं0	कुल किये गये सर्वेक्षण की संख्या	कितने पंजीयन सही पाये गये	अवशेष की स्थिति			कालम 6 के संबंध में पाये गये फर्मों में की गयी कृत कार्यवाही की संख्या
					पते सही नहीं	अनियमितता पूर्ण	GST प्राविधानों के विपरीत	
1	2	3	4	5	6क	6ख	6ग	9


(मुकेश कुमार मेथ्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश ।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश शासन की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

ज्वाइण्ट कमिश्नर (आई0टी0)
वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।